भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

U 411216

30 JUL 2014

॥ श्री गणेशाय नमः ॥

न्यास विलेख

न्यास का नाम	–	बी. एस. ट्रस्ट।
न्यास का पता	–	अलीनगर, कैजरा, राजा का ताल फिरोजाबाद।
प्रमुख कर्ता व न्यास में	–	ट्रस्ट के संस्थापक श्री राजेश कुमार पुत्र श्री सर्वेस यादव नि० अलीनगर, कैजरा, फिरोजाबाद जी द्वारा ट्रस्ट को 5100/– रू की धनराशि दान स्वरूप दी गई।

विधिक प्रलेख–

भारतीय न्यास अधिनियम के अनुसार न्यास एक ऐसा आभार है जो सम्पत्ति के स्वामित्व से आवद्ध होता है तथा उसे सम्पत्ति व स्वामी घोषित अथवा स्वीकार किया जाता है, सम्पत्ति का स्वामी इस प्रकार का आभार अन्य व्यक्तियों के हित अथवा लाभ के लिए है। स्वीकार करेगा।

न्यास के तत्व–

मुख्य न्यासी द्वारा न्यास का गठन निम्न तत्वों पर आधारित है– न्यास एक प्रकार का आभार है, आभार से सम्पत्ति का जुड़ा होना स्वामित्व से आवद्ध है। न्यास का उदय विश्वास से होता है और प्रत्येक न्यास के लिए हिताधिकारियों का होना आवष्यक है। न्यास का रचयिता अपनी सम्पत्ति प्रदान करके सम्पत्ति के स्वामित्व का आभार आवद्ध करेगा। इस प्रकार एक न्यास में आभारी न्यासी हितधारी न्यास सम्पत्ति तथा सम्पत्ति के स्वामी के द्वारा विष्वासपूर्वक आभार की अभिव्यक्ति है।

उपरोक्त अधिनियम व तत्वो के आधार पर न्यास के निम्न न्यासीयों द्वारा बनाया गया प्रबन्ध मण्डल –

क्रम सं०	नाम	पता	पद	व्यवसाय
1.	श्री राजेश कुमार पुत्र श्री सर्वेस यादव	अलीनगर, कैजरा, राजा का ताल फिरोजाबाद।	प्रबन्धक / संस्थापक	व्यवसाय
2.	श्री सर्वेस यादव पुत्र श्री बलवीर सिंह	अलीनगर, कैजरा, राजा का ताल फिरोजाबाद।	अध्यक्ष	व्यवसाय
3.	श्री आशीष सिंह पुत्र श्री सर्वेस कुमार	अलीनगर, कैजरा, राजा का ताल फिरोजाबाद।	उपाध्यक्ष	व्यवसाय
4.	श्रीमती निर्मला देवी पत्नी श्री सर्वेस कुमार	अलीनगर, कैजरा, राजा का ताल फिरोजाबाद।	कोषाध्यक्ष	गृहणी

Scanned with OKEN Scanner

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

AW 809123

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

न्यास के मुख्य उद्देश्य–

यह न्यास **बी. एस. ट्रस्ट** निम्नलिखित सम्पादित करेगा–

1. ट्रस्ट प्राईमरी से लेकर **जूनियर हाईस्कूल, हाईस्कूल,** एवं **इण्टरमीडिएट, डिग्री कालेज** व **उच्च शिक्षा मैडीकल शिक्षा–नर्स (मेल–फीमेल) फार्मेसी, पॉलीटेक्नीक व आई. टी. आई के शिक्षालय** स्थापित करना, उन्हें हर प्रकार की मदद देना, ट्रस्ट द्वारा संचालित स्कूलों में उत्तम शिक्षा का प्रचार व प्रसार करना। भारतीय परिवेश में बालकों एवं बालिकाओं की शिक्षा व्यवस्था हेतु शिक्षा संस्थायें स्थापित करना, प्रबन्ध करना एवं संचालित करना। ग्रामीण क्षेत्र में कम्प्यूटर शिक्षा प्रदान करना।

2. संस्था विभिन्न शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक संस्थानों जैसे–**सी.बी.एस.ई., आई.सी.एस.ई., एन.ओ.एस., इग्नू, यू.जी.सी.** आदि से सम्बद्धता प्राप्त करेगी आवश्यकता पड़ने पर उनका एफीलिऐशन प्राप्त कर उनकी विविध योजनाओं का संचालन व प्रचार–प्रसार करेगी।

3. पर्यावरण की रक्षा के लिए नये–नये प्रकार के पेड़ पौधों को तैयार करना एवं उन पर शोध कर ऐसे उन्नति प्रजाति के पौधे तैयार करना जो पर्यावरण विकास में सहायक हो एवं आसानी से हर जगह तैयार हो सके, ऐसे पेड़ पौधों की नर्सरी स्थापित कर जगह–जगह वृक्षारोपण करना एवं लोगों को वृक्षारोपण के प्रति जागरुक करने के लिए समय–समय पर सेमिनार गोष्ठियाँ, जनजागृति शिविरों का आयोजन कर पर्यावरण के विकास में हर सम्भव योगदान करना।

4. **प्राकृतिक योग चिकित्सा** केन्द्रों की स्थापना करना प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से गम्भीर रोगों का **निशुल्क उपचार व निदान** करने के प्रयास करना।

5. समाज के अपेक्षित लोगों जैसे **अन्धे, कुष्ठ रोगी व मूक बधिरों, विकलाँग व निराश्रित, लाचार वृद्धजनों** के कल्याण के लिए कार्य करना, **बाल आश्रम,** अनाथालय एवं वृद्धाश्रम की स्थापना करना।

6. **ब्लड बैंक** की परियोजना में सहयोग देना, **एम्बुलेंस** की सुविधा उपलब्ध कराना व आपात कालीन परिस्थितियों में निराश्रित लोगों को आर्थिक सहायता मुहैया कराना।

7. ट्रस्ट निर्धन एवं असहाय व्यक्तियों को **निःशुल्क आर्युवेद चिकित्सा** सुविधा हेतु एक इमरजेंसी व अस्पताल एवं अनुसंधान केन्द्र का निर्माण करायेगी।

8. **निराश्रित विधवाओं, महिलाओं एवं असहाय वृद्धों** के लिये आश्रम स्थलों के निर्माण के लिये भूमि देना एवं उसकी देख–रेख व व्यवस्था करना।

9. समिति के मुख्य उद्देश्यों के लिये प्रदेश भर में योजनाओं का प्रचार व प्रसार करना एवं यथासम्भव हर जनपद में इसकी शाखायें खोलना एवं निराश्रित लोगों की मदद के लिये संस्थान का निर्माण करना।

10. जनकल्याण के कार्य जैसे **आपात स्थिति, भूचाल, महामारी, बाढ़, आदि** के समय जन–जन तक सरकारी सहायता पहुँचाना।

11. उक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सरकारी, गैर सरकारी, [illegible] तथा अंर्तराष्ट्रीय सरकार एवं व्यक्तिगत संस्थाओं एवं निकायों बैंको से दान, अनुदान, आर्थिक ऋण अथवा अन्य प्रकार की सहायताएं प्राप्त [illegible] समान उद्देश्यों वाली संस्थाओं से सहयोग प्राप्त करना।

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

रु.50

FIFTY RUPEES

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AW 809127

6

संस्थापक–

न्यासी दम्पत्ति व न्यासियों के जो अधिकारों कर्तव्यों का जिक्र इस अनुबंध में नहीं है उनका और उनके अलावा अन्य अधिकार व कर्तव्य **'भारतीय न्यास अधिनियम 1860'** के अधीन निर्धारित होंगे।

कानूनी प्रक्रियायें–

न्यास से सम्बंधित सभी कानूनी विवाद न्यास पदाधिकारी दायर करेंगे। न्यास पदाधिकारी ही प्रमुख कार्यपालक होगें व न्यास में सेवारत सभी कर्मचारी उसके अधीन होंगे।

संशोधन के अधिकार–

इस न्यास अनुबंध में लिखित मुद्दों पर **'भारतीय न्यास अधिनियम 1860'** से सामंजस्य रखते हुये नये नियमों का सृजन, वर्तमान नियमों व प्रावधानों में संशोधन, परिवर्तन करने का पूर्ण अधिकार न्यास का होगा, जिसका अनुमोदन 2/3 सदस्यों से होगा।

न्यास विघटन स्थिति में–

यदि किन्हीं अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण न्यास को उद्देश्यों के अधीन संचालित करना सम्भव न हो और इस न्यास का विघटन अपरिहार्य हो जाये तो इसकी चल–अचल सम्पत्ति को प्रबन्धक को वापस चली जायेगी, तथा शेष रकम को बराबर मानते हुए अन्य सम्पत्तियों का निस्तारण किया जायेगा। यह प्रक्रिया अध्यक्ष तथा संस्थापक/प्रबन्धक के बीच सम्पन्न होगी।

अतः न्यास विलेख मुख्य न्यासी श्री राजेश कुमार पुत्र श्री सर्वेश कुमार द्वारा राजी व खुशी से बिना बहकाये व सिखाये व बिना किसी दवाब नाजायज किसी के अपने पूर्ण होशोहवास में अपने परिवारीजनों से सलाह मशवरा करके लिख दिया ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत के समय काम आए।

तहरीर आज दिनांक 21.08.2014 को वमुकाम तहसील सदर फिरोजाबाद किया गया।

Rajesh Ku

गवाह- विष्णू वर्मा पु. श्री सुरेश चन्द्र वर्मा
निवासी - शाहगंज आगरा

गवाह- रामदेव यादव एडवोकेट
तहसील कोर्ट फिरोजाबाद

Scanned with OKEN Scanner